

1. वादी संख्या 1 गिरधारी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खसरा नम्बर 190/2 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.4856 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 2. वादी संख्या 2 तिलोकचन्द के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खसरा नम्बर 190/2 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.4856 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 3. वादी संख्या 3 बनवारी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खसरा नम्बर 188/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से रकबा 0.4856 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 4. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 इग्यारसी, मुकेश, बजु उर्फ हस्तु, मनफूल उर्फ मनीषा, सुवटी उर्फ सुवा एवं सोना उर्फ सोनकी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह के खसरा नम्बर 188/7 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से रकबा 0.3238 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
 5. प्रतिवादी संख्या 7 से 14 क्रमाशः गुलाबी, मदु, औमप्रकाश, धनी, धारूराम, पानु, सन्तोष एवं गजू के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
 6. उक्त खसरा नं में से बैंक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगी।
- माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हकतर्क के लिए स्टाम्प ड्यूटी कि राशी प्राप्त कर, माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 9.9.22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(औमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(औमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल